संख्या-27/2022/1481/77-6-2022-6099/315/2021

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक, पिकप।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 17 जून, 2022**

विषय: कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के अन्तर्गत प्रदेश के मध्यांचल, पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने वाली विशेष सुविधाओं एवं रियायतों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-26/2020/2180/77-6-2020-5(एम)/2017टी.सी.15 दिनांक 14.08.2020 द्वारा निर्गत कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के अन्तर्गत प्रदेश के मध्यांचल, पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन हेतु सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित इकाई को मेगा परियोजनान्तर्गत विशेष सुविधाएं एवं रियायतें संगत शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित की गयी सीमा के भीतर शर्तो के अन्तर्गत प्रदान किए जाने का निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-

मेसर्स यूनीलीवर इण्डिया लि0 सुमेरपुर, जिला-हमीरपुर(बुन्देलखण्ड क्षेत्र)

शासनादेश सं0 35/77-6-2022-22(एम)/2017टी.सी.-18 दिनांक 7.1.2022 के अनुपालन में मेसर्स यूनीलीवर इण्डिया लि0 (यू0आई0एल0) को जिला हमीरपुर (बुन्देलखण्ड क्षेत्र) में रू.280.00 करोड़ स्थाई पूंजी निवेश के माध्यम से पर्सनल केयर एवं होम केयर उत्पाद (ब्लोन एण्ड इन्जायमेटिक पाउडर) के उत्पादन हेतु त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के अन्तर्गत लेटर आफ कम्फर्ट दिनांक 7.1.2022 निर्गत किया गया है। कम्पनी को निम्नलिखित सुविधाएं अनुमोदित की गयी हैं:-

क्र0सं0	अनुमोदित सुविधाएं
1	जमा की गई एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति।
2	स्टाम्प शुल्क में छूट।
3	पावर कम्पनियों से विद्युत क्रय पर विद्युत शुल्क से 50 प्रतिशत की 10 वर्ष हेतु छूट।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उक्त कम्पनी मेसर्स हिन्दुस्तान यूनीलीवर्स लि0 (एच0यू0एल0) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है एवं मेसर्स यूनीलीवर इण्डिया लि0 द्वारा मेसर्स हिन्दुस्तान यूनीलीवर्स लि0 के लिए कान्ट्रेक्ट मैन्यूफैक्चरिंग अनुबन्ध के तहत माल उत्पादित किया जाना प्रस्तावित है।

1. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-3392/77-6-2021-5(एम)/12टी.सी.-2 दिनांक 29.11.2021 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार लेटर आफ कम्फर्ट निर्गत करते समय अन्य शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों का भी उल्लेख किया गया थाः-
    1. नेट एस.जी.एस.टी की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की उपवर्णित धारा 25(4) में वर्णित "सुभिन्न व्यक्ति(distinct person)" से सम्बन्धित transactions अनुमन्य नहीं होंगे।
    2. नेट एस.जी.एस.टी की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की उपवर्णित धारा 15 में परिभाषित "सम्बन्धित व्यक्ति (related person)" से सम्बन्धित transactions अनुमन्य नहीं होंगे।

    उपरोक्त शर्त के फलस्वरूप अर्ह उत्पादित माल के हिन्दुस्तान यूनीलीवर लि0 को 100 प्रतिशत विक्रय किये जाने की दशा में मेसर्स यूनीलीवर इण्डिया लि0 एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति की सुविधा प्राप्त किये जाने हेतु अर्ह नही रहेगा।
2. आवेदक कम्पनी द्वारा अपने पत्र दिनांक 9.2.2022 के माध्यम से विभिन्न तथ्यों का उल्लेख करते हुए यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा नेट एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति का क्लेम करते समय कतिपय सुरक्षा उपायों (Safeguards) का अनुपालन किया जायेगा। कम्पनी द्वारा अनुरोध किया गया कि लेटर आफ कम्फर्ट में उल्लिखित सम्बन्धित व्यक्ति (related person) से संव्यवहार (transactions) पर एस0जी0एस0टी0 पर देय सुविधा पर रोक से सम्बन्धित शर्त को हटा दिया जाए एवं लेटर आफ कम्फर्ट में यथोचित संशोधन कर दिया जाय।

इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित व्यक्ति (Related persons) विषयक लेटर आफ कम्फर्ट की शर्त को शिथिल करने पर इस शर्त के साथ कि यू0आई0एल0 को एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति के क्लेम्स के साथ समस्त निम्नलिखित संगत अभिलेख उपलब्ध करवाने होगें:-

(क) यू0आई0एल0 द्वारा उत्पादित माल के लिये यू0आई0एल0 और एच0यू0एल0 अपने-अपने विक्रय मूल्य प्रदान कर सकते हैं एवं यह दर्शाने के लिए एक समेकित रिपोर्ट प्रदान कर सकते है कि समान उत्पाद के लिये यू0आई0एल0 का सेल्स टर्न ओवर एच0यू0एल0 के सेल्स टर्न ओवर से कम है। यथा-आवश्यक ऐसे सेल्स टर्न ओवर का प्रमाणन उपलब्ध कराया जा सकता है।

(ख) समायोजन के लिये निम्न दस्तावेज उपलब्ध कराये जा सकते हैं:-

- यू0आई0एल0 द्वारा एच0यू0एल0 को और एच0यू0एल0 द्वारा उत्तर प्रदेश/उत्तर प्रदेश के बाहर वितरकों (distributors) को विक्रय किये गये माल का समेकित विवरण। यह विवरण अद्यावधिक स्थिति (data) के साथ दैनिक आधार पर प्रस्तुत किया जा सकता है।
- यू0आई0एल0 द्वारा विक्रय के बाद उत्पादित माल की आवाजाही को ट्रैक करने के लिये रिकार्डस में बैच नम्बर, कंसाइनमेंट नम्बर आदि होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- यू0आई0एल0 और एच0यू0एल0, दोनो द्वारा इस आशय की उपयुक्त अन्डरटेकिंग्स उपलब्ध करायी जायेंगी कि यू0आई0एल0 द्वारा केवल उत्तर प्रदेश में विक्रय किये गये उत्पादित माल पर ही सुविधाओं हेतु क्लेम प्रस्तुत किए गए है।

(ग) पुष्टीकरण के लिये यह प्रमाण पत्र दिया जा सकता है कि सम्बन्धित व्यक्ति (related person) संव्यवहार (transactions) आर्म्स लेंथ (arms-length) सिद्धान्तों के अनुपालन में किये गये हैं।

(घ) यू0आई0एल0 और एच0यू0एल0 के बीच सभी संव्यवहार (transactions) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92 बीए और आयकर नियमों के साथ-साथ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएबी द्वारा कड़ाई से शासित होंगे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि निर्दिष्ट संव्यवहार (transactions) आर्म्स लेंथ कसौटी को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि यू0आई0एल0 और एच0यू0एल0 के बीच संव्यवहारों (transactions) में कोई हेरफेर (manipulations)/ कृत्रिम वृद्धि (inflation) नहीं की गई है। यू0आई0एल0 द्वारा वार्षिक आधार पर एच0यू0एल0 के साथ किए गए संव्यवहारों के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92ई (सहपठित धारा 115 बीएबी) के अन्तर्गत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से एक रिपोर्ट उपलब्ध करावानी होगी, जो कि यह प्रमाणित करेगी कि यू0आई0एल0 और एच0यू0एल0 के बीच सभी संव्यवहार (transactions) आर्म्स लेंथ एवं वास्तविक हैं।

(च) यू.आई.एल. द्वारा इस आशय की अण्डरटेकिंग उपलब्ध करायी जाएगी कि उनके एवं एच.यू.एल. के मध्य समस्त संव्यवहार प्रमाणिक एवं वास्तविक है, एवं उनके द्वारा नेट एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति के क्लेम्स Arms-length संव्यवहारों के आधार पर ही किए गए है।

(छ) यू.आई.एल. द्वारा पूंजीगत माल, कच्चे माल, पैकिंग मैटीरियल्स एवं अन्य इन्पुट्स एच.यू.एल. से प्रोक्योर नहीं किए जाएंगे, केवल तृतीय पक्ष वेन्डर्स से क्रय किए जाएंगे जो कि यू.आई.एल/एच.यू.एल. से असंबंधित पार्टी/व्यक्ति होंगे।

तदनुसार मेसर्स यूनीलीवर इण्डिया लि0 को उनके द्वारा जिला हमीरपुर (बुन्देलखण्ड क्षेत्र) में स्थापित की जाने वाली परियोजना के लिये निर्गत किए गए लेटर आफ कम्फर्ट में संशोधन कर संशोधित लेटर आफ कम्फर्ट निर्गत किए जाने का निर्णय लिया गया।

2. राज्य सरकार द्वारा इस शासनादेश एवं शासनादेश संख्या-26/2020/2180/77-6-2020-5(एम)/2017टी.सी.15 दिनांक 14.08.2020 की व्यवस्था के अन्तर्गत जिन मेगा परियोजनाओ को विशेष सुविधाएं एवं रियायतें प्रदान करने पर अनुमोदन प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है उनको प्रश्नगत सभी प्रकार की सुविधाएं प्राधिकृत संस्था द्वारा संबंधित संगत शासनादेशों के अनुसार प्राविधानित सीमा के भीतर एवं शर्तो का अनुपालन करने हुए वितरित की जाएगी।

3. शासनादेश संख्या-21/2020/1395/77-6-2020-5(एम)/2017टी.सी.2 दिनांक 12.06.2022 (यथासंशोधित) द्वारा निर्धारित मानक परिचालन प्रक्रिया(SOP) में निर्धारित सभी शर्तो तथा यथोचित सुरक्षा उपायों 'सेफगार्ड्स' का अनुपालन करते हुए इकाईयों को नेट एस.जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति की जाएगी।

4. संबंधित विभागों द्वारा संदर्भित नई इकाईयों को अनुमोदित सुविधाओं को निर्णीत सीमा तक उपलब्ध कराए जाने हेतु शासनादेश जारी किए जाएगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. किसी भी प्रकार की प्रक्रिया के निर्धारण हेतु प्राधिकृत संस्था द्वारा इम्पावर्ड कमेटी से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

6. औद्योगिक उपक्रमों द्वारा परियोजना की प्रकृति अथवा परियोजना लागत में परिवर्तन/बदलाव जिससे इसकी श्रेणी में परिवर्तन उत्पन्न हो, लेटर आफ कम्फर्ट की शर्तो में परिवर्तन, इत्यादि हेतु दिए गए आवेदन का नोडल संस्था द्वारा स्वयं अथवा बाह्य सक्षम संस्था के माध्यम से परीक्षण कर स्वीकृति प्राधिकारी के विचार हेतु प्रस्तुत किया जाएगा, जिनका निर्णय अन्तिम होगा।

7. सुविधाओं की निर्धारित सीमा(मात्रा/अवधि) पूरी होने पर अथवा नियमों एवं शर्तो का उल्लंघन होने पर लेटर ऑफ कम्फर्ट स्वत: निरस्त समझा जाएगा।

8. यदि औद्योगिक उपक्रमों द्वारा दी गयी जानकारी/अभिलेख असत्य पाये जाते है अथवा भौतिक तथ्यों को छिपाकर सुविधाएं प्राप्त की जाती है तो ऐसी दशा में लेटर ऑफ कम्फर्ट/स्वीकृति पत्र निरस्त किए जायेंगे एवं औद्योगिक उपक्रम को वितरित की गयी सभी सुविधाओ की राशि प्रदेश में प्रचलित अधिनियमों के अन्तर्गत भूमि राजस्व के बकायों के रूप में वसूली योग्य होगी।

भवदीय,
अरविन्द कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-27/2022/1481(1)/77-6-2022-6099/315/2021तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ।
2. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/न्याय विभाग उ0प्र0 शासन।
6. स्टाफ आफिसर,मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज।
8. औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/निगमों के प्रबन्ध निदेशक एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
9. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0 को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश की प्रति संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी को प्रेषित करने तथा 100प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने हेतु।
10. नियोजन अनुभाग-1 उ0प्र0शासन।
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in